

केशव महाविद्यालय
बाल विवाह मुक्त भारत पर सत्र
आयोजन महिला विकास प्रकोष्ठ द्वारा किया गया
27 फरवरी 2026

महिला विकास प्रकोष्ठ द्वारा 27 फरवरी 2026 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' विषय पर एक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाजशास्त्र की प्रख्यात प्रोफेसर वी. राज्यलक्ष्मी का विशेष व्याख्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने भारत में बाल विवाह की समस्या और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभावों पर गंभीरतापूर्वक प्रकाश डाला।

अपने संबोधन में प्रोफेसर वी. राज्यलक्ष्मी ने बाल विवाह की जड़ों में निहित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार और समुदाय में लैंगिक भूमिकाएँ किस प्रकार सामाजिक रूप से निर्मित और पीढ़ी दर पीढ़ी सुदृढ़ की जाती हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि महिलाओं को प्रायः अधिक समायोजनशील और त्यागशील मानकर उनसे अल्पायु में ही वैवाहिक दायित्व निभाने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने पितृसत्तात्मक व्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा करते हुए बताया कि किस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक मिलकर ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में बाल विवाह की प्रथा को निरंतर बनाए रखते हैं। उनका व्याख्यान न केवल तथ्यपरक था, बल्कि महिलाओं की गरिमा, शिक्षा और स्वायत्तता के महत्व को भी दृढ़ता से रेखांकित करता था।



उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आम धारणा के विपरीत, बाल विवाह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और आज भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति और विकास के लिए स्वस्थ, शिक्षित और सुसंस्कृत जनसंख्या का होना आवश्यक है। इसलिए, विवाह संस्था के प्रति ज़िम्मेदारी और जागरूकता के साथ दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, विशेष रूप से विवाह की कानूनी और उचित आयु के संबंध में। विवाह संबंधी निर्णय सोच-समझकर और देर से लेने से बेहतर स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि और समग्र सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है।



इस सत्र ने विद्यार्थियों को लिंग एवं विवाह से जुड़ी दीर्घकालिक रुढ़ियों और सामाजिक अपेक्षाओं पर गंभीर एवं आत्ममंथनात्मक दृष्टि डालने के लिए प्रेरित किया। यह एक संवादात्मक मंच सिद्ध हुआ, जहाँ प्रतिभागियों ने सार्थक चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी की तथा विचारोत्तेजक प्रश्न प्रस्तुत किए। परिणामस्वरूप, यह सत्र बौद्धिक रूप से समृद्ध और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक सिद्ध हुआ।

वक्ता ने विद्यार्थियों से बाल विवाह के विरुद्ध स्पष्ट एवं सक्रिय रुख अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इसे एक गंभीर सामाजिक कुरीति तथा विधि-विरुद्ध कृत्य बताया, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र व्यक्तित्व विकास में गंभीर बाधाएँ उत्पन्न करता है। उन्होंने छात्रों को यह सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया कि उनके परिवारों अथवा समुदायों में इस प्रकार की कोई प्रथा न हो, तथा किसी भी संदिग्ध स्थिति की सूचना संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों को देने की जिम्मेदारी पर विशेष बल दिया।

सत्र का समापन बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण हेतु सामूहिक प्रतिबद्धता के आह्वान के साथ हुआ, जिसमें जागरूकता, उत्तरदायित्व और सतत सामाजिक वकालत को प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में रेखांकित किया गया।



कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित सदस्यों ने बाल विवाह के उन्मूलन में सक्रिय योगदान देने की सामूहिक प्रतिज्ञा ली। विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने अपने परिवारों, मोहल्लों तथा समुदायों में बाल विवाह का विरोध करने और उसे रोकने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विवाह की वैधानिक आयु के संबंध में जागरूकता फैलाने, प्रत्येक बच्चे की शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को देने का संकल्प लिया। यह प्रतिज्ञा सभी बच्चों के लिए समानता, गरिमा और न्याय पर आधारित बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण हेतु साझा उत्तरदायित्व और अटूट संकल्प का प्रतीक है।

समग्र रूप से, यह कार्यक्रम बाल विवाह के संरचनात्मक कारणों एवं इसके व्यापक दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने में सफल सिद्ध हुआ। साथ ही, इसने शिक्षा, लैंगिक समानता तथा उत्तरदायी सामाजिक परिवर्तन के महत्व को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया।

